

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-02-05/2023
प्रेषक,

२४५६

/पटना, दिनांक-१५/५/२३

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनोपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

संजय दूबे भा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव।

विषय:-

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 103- ग्राम विकास उपशीर्ष-0519 - मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 70000.00000 लाख (सात सौ करोड़) ₹० मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 103- ग्राम विकास उपशीर्ष-0519 - मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल प्रावधानित राशि ₹ 70000.00000 लाख (सात सौ करोड़) ₹० मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37-4515001030519 है एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account- PLA239) में संधारित करेंगे।

3- सचिव, बी0आर0आर0डी0ए० मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित) के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस योजना का व्यय मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 103- ग्राम विकास उपशीर्ष-0519- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5- उक्त राशि का व्यय मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (एनडीबी) (ब्रिक्स बैंक सम्पोषित) के तहत स्वीकृत योजनाओं पर नियमानुसार किया जायेगा। इस राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं जिस कार्य के लिए यह राशि आवंटित की जायेगी, उसी कार्य के लिए इस राशि को व्यय किया जायेगा।

Sanctioning Order 4515 2023-24

Chandau

11/5/2023

6- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7- यह आदेश वित विभाग के संकल्प संख्या-एवं-4-45/94-301वि० (2) दिनांक-31.01.1995 एवं वित विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि० (2) दिनांक 15.09.2005 एवं 430 दिनांक-28.03.2023 के आलोक में आंतरिक सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-05/2023 के पृष्ठ संख्या- 04 /टि० पर एवं दिनांक- 13.04.2013 को प्राप्त है।

8- इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री से संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-05/2023 के पृष्ठ- 05 /टि० पर एवं दिनांक- 08.05.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8
11/5/2023

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2023 245-6

/पटना, दिनांक 15/5/23

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8
11/5/2023

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2023

245-6

/पटना, दिनांक 15/5/23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, सचिव, ग्रामीण कार्य संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण सचिव, ब्राडा ग्रामीण सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण विभार, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण विभार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8
11/5/2023

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2023

245-6

/पटना, दिनांक 15/5/23

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रामीण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

8
11/5/2023

सरकार के विशेष सचिव